

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3---Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 409] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 1996/आषाढ़ 25, 1918 No. 409] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 1996/ASADHA 25, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व बिभाग)

अ<mark>धिसूचना</mark>

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1996

र्स. 34/96(एन. टी.) सीमाशुल्क

का. आ. 507 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/94 (एन. टी.) सीमा-शुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1994 में निम्नुलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी की क्रम सं. 8 के सामने, रेबडांडा पत्तन से संबंधित मद (7) के सामने, स्तंभ (4) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---

''(क) आयांतित लौह, लौह अयस्क गुटिकाओं, लौह अयस्क सांद्र, कोयला, डोलोमाइट/चूनापत्थर, पैटोलियम गैस, इस्पात गलन स्क्रैप, एम. बी. आई. चिप्स/फाइन्स, लुगदी, मैगनेसाइट और सल्फर की उत्तराई; और''।

> [फा. सं. 574/13/94-एल. सी.] के. चोपड़ा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 62/94(एन. टी.) सीमा-शुल्क, तारीख 21 भवम्बर, 1994 [का. आ. 829 (अ)], तारीख 21-11-1994) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 1996

No. 34/96 (NT)-Customs

S.O. 507 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62/94 (NT)-Customs, dated the 21st November, 1994, namely :---

In the Table annexed to the said notification, against serial number 8, against item (7) relating to Revdanda Port, in column (4), for item (a) the following shall be substituted namely :---

"(a) Unloading of Imported Iron, Iron ore Pellets, Iron ore Concentrate, Coal, Dolomite/Limestone, Petroleum Gas, Steel Melting Scrap, HBI chips/Fines, Pulp, Magnesite and Sulpher; and".

[F. No. 574/13/94-LC] K. CHOPRA, Under Secy.

Note :- The Principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 62/94 (NT)-Customs, dated the 21st November, 1994 (S.O. 829 (E) dated 21-11-1994).